न्यायालय तहसीलदार जसवंततपुरा

मुकदमा नंबर 25/2016

राजस्थान सरकार जरिये बनाम गैरसायल

पटवारी हल्का गजापुरा श्री रूपा पुत्र श्री हरजीराम

जाति कलबी निवासी वाडाभवजी

निर्णय दिनांकः—13.10.2016

पत्रावली पेश हुयी। गैरसायल हाजिर। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गजापुरा व निरीक्षक भू0अ0 जसवंतपुरा ने रिपोर्ट पेश की कि गैरसायल ने संवत 2073 में मौजा वाडाभवजी के खसरा नंबर 323 रकबा 0.33 हेक्टर किस्म गै.मु काकर में अनाधिकृतरूप से बाड बनाकर कब्जा किया है। जिस पर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल नें अपने जबाव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य कोई सबूत पेश नही किये,नही पेश करना चाहता है जिससे यह साबित होता है कि गैरसायल ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है।

अतः राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (1) के तहत संवत 2073 में मौजा वाडाभवजी के खसरा,नंबर 323 रकबा 0.33 हेक्टर किस्म गै.मु. काकर अतिक्रमी घोषित किया जाकर व अतिक्रमित रकबे से भौतिकरूप से बेदखली के आदेश दिये जाते है साथ ही अतिक्रमित रकबे पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) तहत का वार्षिक लगान 1.98 का 50 गुणा रू0 99/— अक्षरे निन्नान्वे रूपये मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। निरीक्षक (भू.अ.) जसवंतपुरा ,पटवारी हल्का गजापुरा को भौतिकरूप से बेदखल करने एवं जुर्माना कायमी हेतु लिखा जाये। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार जसवन्तपुरा
जिला जालोर (राज.)

तहसीलदार जसवंतपुरा